



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या :- 5/2025

लालचंद पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन सूरवाली हाल आबाद हाउस नं. 21 सैक्टर नंबर 5 जी, वार्ड नंबर 5, सेंटर जेल के सामने, सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—वादी

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन हाउस नं. 166 रण सिंह वाला पार्ट नं. 02 गांव सिंहवाला पो.ऑ. रण सिंहवाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट 151208
2. तेज कौर पत्नी बलधीर सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (विलोपित)।
3. वकील सिंह पुत्र बलधीर सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. वजीर सिंह पुत्र बलधीर सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. वीरपाल कौर पुत्री बलधीर सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. सुखवीर कौर पुत्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी हाउस नं. 166 रण सिंह वाला पार्ट नं. 02 गांव सिंहवाला पो.ऑ. रण सिंहवाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट 151208
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. सौरभ सहारण पुत्र लालचंद सहारण जाति जाट निवासी हाउस नं. 21, सैक्टर नं. 5 जी, वार्ड नंबर 2, सेंटर जेल के सामने, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

डिक्री

दिनांक :- 28/08/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, चक 3 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 22/248 के किला नं. 3/5/.101, 3/6/.013, 81.253 की कुल 0.367 हैक्. का खाता प्रतिवादी सं. 1 ता 6 से अलग किया जाकर रकमराज अलग कायम किए जाने के तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड न्यायाधीश पीलीबंगा एवं
पदेन उपसहायक न्यायाधीश पीलीबंगा
पीलीबंगा